भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3055
दिनांक 06 अगस्त, 2026

महाराष्ट्र में पेट्रोलियम और गैस अवसंरचना

†3055. **श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः**

श्रीमती सुप्रिया सुलेः

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में पेट्रोलियम उत्पादों, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की उपलब्धता और वितरण का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में शहर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क, एलपीजी अवसंरचना, ईंधन खुदरा आउटलेट और पेट्रोलियम संभारतंत्र सुविधाओं के विस्तार के लिए जिला-वार स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पीएनजी और सीएनजी कवरेज, ईंधन आपूर्ति बुनियादी ढांचे और उपभोक्ता पहुंच में किसी कमी की पहचान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में पेट्रोलियम और गैस अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए दी गई केंद्रीय सहायता और किए गए कुल निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) महाराष्ट्र में स्वच्छ ईंधन तक पहुंच का विस्तार करने, ईंधन सुरक्षा में सुधार करने और पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ङ) भारत में घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का अधिशेष उत्पादन है। वर्ष 2025-26 के दौरान, 241.6 मिलियन मीट्रिक टन की घरेलू खपत के मुकाबले 284.9 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन हुआ। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एमएस, एचएसडी, एटीएफ, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी आदि जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण की निरंतर निगरानी की जाती है।

पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और वितरण में सुधार के लिए डिपो और टर्मिनल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, भंडारण क्षमता बढ़ाना और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाना, खुदरा दुकानों, एलपीजी वितरकों, सीएनजी स्टेशनों और वैकल्पिक ईंधन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है।

खुदरा बिक्री केंद्रों को ओएमसीज द्वारा व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर चिन्हित स्थानों पर स्थापित किया जाता है। खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए पर्याप्त क्षमता वाले स्थानों को राज्य विपणन योजना सूची के रोस्टर में शामिल किया जाता है। एलपीजी वितरक नियुक्तियों के लिए भी, उपलब्ध रिफिल बिक्री क्षमता के आधार पर व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है, जिससे आर्थिक रूप से व्यवहार्य संचालन सुनिश्चित हो सके। उपयुक्त स्थानों का विज्ञापन तदनुसार किया जाता है।

इसके अलावा, शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास के अंतर्गत संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशनों की स्थापना और घरों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। ये गतिविधियाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा अधिकृत कंपनियों द्वारा संचालित की जा रही हैं।

महाराष्ट्र में पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान पीएसयू ओएमसीज ने 1143 नए खुदरा बिक्री केंद्र और 18 नई एलपीजी वितरक इकाइयाँ शुरू की हैं। महाराष्ट्र में पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान सीजीडी कंपनियों ने 17.18 लाख डीपीएनजी (घरेलू) कनेक्शन जारी किए हैं, 507 नए सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं और 8,736 इंच-किमी पाइपलाइन बिछाई है।

महाराष्ट्र राज्य में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने 22 भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) को अधिकृत किया है, जिनमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को कवर करने वाला एक जीए और गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करने वाला एक जीए शामिल है जहां नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का विकास किया जाना है। ये अधिकृत जीए सामूहिक रूप से राज्य के सभी जिलों को कवर करते हैं।

महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 24.03.2026 को एक व्यापक नियंत्रण आदेश अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य देश भर में पाइपलाइन अवसंरचना, विशेष रूप से सीजीडी के समयबद्ध विस्तार को सुगम बनाना है। यह आदेश मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) और अनुमतियाँ प्रदान करने के लिए एक समान ढांचा प्रदान करता है, जिसमें सख्त समय सीमा निर्धारित की गई है, देरी होने पर स्वतः स्वीकृतियाँ प्रदान करने का प्रावधान है और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनधिकृत शुल्क लगाने पर रोक लगाई गई है।

ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आपूर्ति संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए, भारत ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए अपने स्रोतों का दायरा 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है और एलएनजी और एलपीजी की आपूर्ति को 15 देशों तक विस्तारित किया है। इससे किसी विशेष देश, क्षेत्र या पारगमन मार्ग पर निर्भरता कम हुई है और आपूर्ति में व्यवधान और बाजार की अस्थिरता से निपटने की भारत की क्षमता में वृद्धि हुई है। सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों और अन्य हितधारकों के परामर्श से, वैश्विक आपूर्ति स्थितियों का निरंतर आकलन करती है और कच्चे तेल, एलएनजी और पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाती है।

सरकार ने कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने और ईंधन सुरक्षा में सुधार के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, देश भर में ईंधन/फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देकर मांग प्रतिस्थापन करना, अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाना और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, एथेनॉल, द्वितीय पीढ़ी के एथेनॉल, संपीडित बायो गैस और बायोडीजल जैसे नवीकरणीय और वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देना, रिफाइनरी प्रक्रियाओं में सुधार करना, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना, विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास आदि शामिल हैं। ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में संपीडित बायो गैस (सीबीजी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, किफायती परिवहन की दिशा में दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल भी शुरू की गई है।

*****

अनुलग्नक

'महाराष्ट्र में पेट्रोलियम और गैस अवसंरचना' के संबंध में दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3055 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	ज़िला	परियोजना
1	नासिक	मनमाड एलपीजी प्लांट की बॉटलिंग क्षमता 24 पॉइंट के दूसरे कैरोसेल को जोड़कर 60 टीएमटीपीए से बढ़ाकर 120 टीएमटीपीए कर दी गई है।
2	रायगढ़	रसायनी में 60 टन प्रति वर्ष की बॉटलिंग क्षमता और 1800 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाले एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र का निर्माण।
3	औरंगाबाद	औरंगाबाद एलपीजी संयंत्र में लोडिंग सुविधा को 4 बे से बढ़ाकर 8 बे किया गया।
4	सांगली	हजारवाड़ी एलपीजी संयंत्र की भंडारण क्षमता 2400 मीट्रिक टन से बढ़कर 3800 मीट्रिक टन हो गई है।
5	मुंबई उपनगर	माहुल संयंत्र में 5 किलोग्राम सिलेंडर भरने की सुविधा उपलब्ध है।
6	पुणे	पुणे एएसएफ का विकास
7	सोलापुर	सोलापुर एएसएफ का विकास
8	जलगांव	जलगांव एएसएफ का विकास
9	अहिल्यानगर	शिरडी एएसएफ का उन्नयन
10	नागपुर	नागपुर एएसएफ में विमान रीफ्यूलर
11	कोल्हापुर	कोल्हापुर एएसएफ में विमान रीफ्यूलर

स्रोत: पीएसयू ओएमसीज